

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1
राज्य रूपरेखा
प्रस्तर 1.1
(संदर्भ: राज्य की रूपरेखा; पृष्ठ 1)

अ. सामान्य आँकड़े*:

क्रम संख्या	विवरण	आँकड़े
1	क्षेत्रफल	53,483 वर्ग किमी
2	जनसंख्या	
	क. 2001 की जनगणना के अनुसार	84.89 लाख
	ख. 2011 की जनगणना के अनुसार	101.17 लाख
3	क. जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	159 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
	ख. जनसंख्या घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी पी एल) (अखिल भारतीय औसत = 30.00 प्रतिशत)	17.80 प्रतिशत
5	क. साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80 प्रतिशत)	71.62 प्रतिशत
	ख. साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)	78.82 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 40 प्रति 1000 जीवित जन्म)	32
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत = 67.50)	अनुपलब्ध
8	गिनी गुणांक**	
	क. ग्रामीण (अखिल भारतीय= 0.29)	0.26
	ख. शहरी (अखिल भारतीय = 0.38)	0.36
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) 2014-15 चालू मूल्य पर	1,38,723
10	प्रति व्यक्ति जी एस डी पी सी ए जी आर (2005-06 से 2014-15)	16.85 प्रतिशत
11	जी एस डी पी सी ए जी आर (2005-06 से 2014-15)	18.56 प्रतिशत
12	जनसंख्या वृद्धि (2005-06 से 2014-15)	14.02 प्रतिशत

** गिनी गुणांक जनसंख्या में आय की असमानता का माप है। मुख्य पर शून्य से एक है, शून्य के समीप असमानता कम है, एक के समीप असमानता अधिक है।

ब : वित्तीय आँकड़े

सी ए जी आर					
विवरण		आँकड़े (प्रतिशत में)			
सी ए जी आर		2005-06 से 2013-14		2013-14 से 2014-15	
		उत्तराखंड के लिए	विशेष श्रेणी राज्यों के लिए #	उत्तराखंड के लिए	विशेष श्रेणी राज्यों के लिए #
क	राजस्व प्राप्तियों का	15.32	13.72	16.89	15.34
ख	राजस्व कर का	19.36	16.00	13.36	13.19
ग	करेत्तर राजस्व का	9.23	10.67	-15.64	-6.78
घ	कुल व्यय	13.28	13.86	28.55	20.99
ङ	पूँजी व्यय	10.21	11.36	33.05	26.12
च	सामान्य शिक्षा में राजस्व व्यय	15.89	16.09	16.33	17.68
छ	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में राजस्व व्यय	15.34	16.70	41.65	23.67
ज	वेतन	21.20	16.40	13.65	4.52
झ	पेंशन	21.36	19.95	15.06	14.94

*स्रोत: आर्थिक सलाहकार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

यह आसाम, दो-हिमाचल प्रदेश, तीन- मणिपुर, चार- मेघालय, पांच- मिजोरम, छः- नागालैंड, सात- सिक्किम, आठ- त्रिपुरा, एवं नौ- उत्तराखण्ड जैसे विशेष श्रेणी राज्यों पर आधारित है।

परिशिष्ट 1.1

प्रस्तर 1.2..1

(संदर्भ: पृष्ठ 1 एवं 6)

भाग अ: सरकारी लेखों का प्रारूप एवं संरचना

सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा गया है (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा।

भाग- I: समेकित निधि: राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियाँ, ट्रेजरी बिलों के जरिये जुटाए गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि, एक समेकित निधि का गठन करेगी जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत गठित 'राज्य की समेकित निधि' नाम से जाना जाता है।

भाग- II: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत गठित राज्य की आकस्मिकता निधि एक प्रकार का अग्रदाय है, जो अति आवश्यक आकस्मिक व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम देने के लिये, विधायिका द्वारा प्राधिकृत होने तक राज्यपाल की स्वेच्छा पर रखा जाता है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के, समेकित निधि से आहरण हेतु विधान मण्डल की संस्तुति प्राप्त की जाती है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की समेकित निधि से प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग- III: लोक लेखा: कतिपय लेनदेनों से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, निक्षेप, उचंत, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का अंश नहीं हैं, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते हैं और जिन्हें राज्य विधायिका द्वारा वोट की आवश्यकता नहीं है।

भाग ब: वित्त लेखे का विन्यास

विवरण	विन्यास
खण्ड 1	
भाग I- संक्षिप्त विवरण	
विवरण संख्या-1	वित्तीय स्थिति का विवरण।
विवरण संख्या-2	प्राप्ति तथा संवितरण का विवरण।
विवरण संख्या-3	समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण।
विवरण संख्या-4	समेकित निधि से व्यय का विवरण। अ. प्रकार्य अनुसार व्यय ब. प्रवृत्ति अनुसार व्यय
विवरण संख्या-5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण।
विवरण संख्या-6	उधारी एवं अन्य दायित्व का विवरण।
विवरण संख्या-7	सरकार द्वारा दिये गए ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण।
विवरण संख्या-8	सरकार के निवेशों का विवरण।
विवरण संख्या-9	सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण।

विवरण संख्या-10	सरकार द्वारा दिये गए सहायता अनुदानों का विवरण।
विवरण संख्या-11	दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण।
विवरण संख्या-12	राजस्व लेखा से भिन्न व्यय हेतु निधि का स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण।
विवरण संख्या-13	संचित निधि, आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा के अधीन शेष का सारांश।
खण्ड II	
भाग II - विस्तृत विवरण	
विवरण संख्या-14	लघु शीर्ष से राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-15	लघु शीर्ष से राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-16	लघु शीर्ष एवं उप शीर्ष से पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-17	लघु शीर्ष से उधारियाँ एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-18	सरकार द्वारा दिये गए ऋणों एवं अग्रियों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-19	निवेशों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-20	सरकार द्वारा दी गयी प्रतिभूतियों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-21	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेनदेनों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-22	उद्दिष्ट शेषों का विस्तृत विवरण।
भाग III - परिशिष्ट	
परिशिष्ट-I	वेतन पर तुलनात्मक विवरण
परिशिष्ट-II	सहायिकी पर तुलनात्मक विवरण
परिशिष्ट-III	सहायता अनुदान/राज्य सरकार द्वारा प्रदान सहायता (संस्थागत एवं योजनागत)
परिशिष्ट-IV	बाह्य सहायतित परियोजनाओं का विवरण
परिशिष्ट-V	योजना स्कीम व्यय (अ. केन्द्रीय स्कीम ब. राज्य स्कीम)
परिशिष्ट-VI	राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय स्कीम निधियों का सीधा अंतरण (निधियां राज्य बजट के अन्यत्र मार्ग से अंतरित)(गैर-लेखापरीक्षित आंकड़े)
परिशिष्ट-VII	खाता-बही एवं बड़ा चिट्ठा के शेषों/गैर-समाधित अंतरों की स्वीकृति।
परिशिष्ट-VIII	सिंचाई निर्माणकार्यों के वित्तीय परिणाम।
परिशिष्ट-IX	अपूर्ण लोक निर्माण ठेकों पर वचनबद्धता का विवरण। (31 मार्च 2015 को)
परिशिष्ट-X	2014-15 में राज्य के अनुरक्षण व्यय का विवरण। (31 मार्च 2015 को)
परिशिष्ट-XI	वर्ष के दौरान भविष्य नकदी प्रवाह हेतु बजट में प्रस्तावित नयी योजनाओं के संबंध में निहितार्थ मुख्य नीति-विषयक निर्णयों का विवरण।
परिशिष्ट-XII	भविष्य में राज्य के वचनबद्ध दायित्वों का विवरण।
परिशिष्ट-XIII	ऐसे मदों का विवरण जिनके लिए राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेष नियतन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

परिशिष्ट 1.2

भाग अ

(संदर्भ: पृष्ठ 1)

राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यविधि

एकवर्गीय राजकोषीय समुच्चयों के लिए अनुमानों सहित चयनित राजकोषीय आँकड़ों के लिए तेरहवें वित्त आयोग (ते वि आ) द्वारा निर्धारित मानक/सीमाएँ तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके राजकोषीय दायित्व अधिनियम में तथा अन्य विवरणों में, जो अधिनियम के अन्तर्गत विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित है (परिशिष्ट 1.2 का भाग ब), वचनबद्धताएँ/अनुमान, मुख्य राजकोषीय समुच्चयों की प्रवृत्तियों तथा स्वरूपों के गुणात्मक मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ), राज्य की अर्थव्यवस्था के कार्य सम्पादन का अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय समुच्चयों जैसे कर एवं करेत्तर राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व और राजकोषीय घाटे को चालू बाजार मूल्यों पर स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। स रा घ उ द्वारा प्रस्तुत आधार के सन्दर्भ में सम्बन्धित राजकोषीय आँकड़ों हेतु उत्प्लावकता गुणांक यह निर्धारित करने के लिए आगणित किया जाता है कि क्या संसाधनों का जुटाव, व्यय की पद्धति आदि, आधार में परिवर्तन के साथ-साथ चलते हैं अथवा ये राजकोषीय समुच्चय, स रा घ उ के अलावा दूसरे कारकों से भी प्रभावित हैं।

विगत पाँच वर्षों हेतु स रा घ उ की प्रवृत्तियाँ नीचे दर्शाई गई सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियाँ हैं:

	2010-11	2011-12	2012-13*	2013-14*	2014-15*
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ में)	83,969	97,858	1,08,250	1,22,897	1,38,723
स रा घ उ की वृद्धि दर	18.72	16.54	10.62	13.53	12.88
स्रोत: मुख्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना					

* अनन्तिम * त्वरित * अग्रिम

राजकोषीय क्षमता के प्राक्कलन हेतु पद्धति

राज्य सरकार की राजकोषीय क्षमता का प्राक्कलन करने के लिए, तेरहवें वित्त आयोग में दी गयी निम्न पद्धति अपनाई गयी।

चरण 1: कुल व्यय- स रा घ उ और पूँ व्यय/वि व्यय/सा से व्यय- कुल व्यय के राष्ट्रीय औसत की गणना करें।

चरण 2: कुल व्यय- स रा घ उ अनुपात के राष्ट्रीय औसत पर आधारित, कुल व्यय की गणना करें जिससे किसी भी राज्य में कुल व्यय- स रा घ उ अनुपात, राष्ट्रीय औसत से कम न हो, अर्थात्, यदि

$$\text{कुल व्यय/स रा घ उ} = X$$

$$\text{कुल व्यय} = X * \text{स रा घ उ} \dots\dots(1)$$

जहाँ X, कुल व्यय- स रा घ उ अनुपात का राष्ट्रीय औसत है।

जहाँ कहीं भी राज्यों का कुल व्यय- स रा घ उ अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, कोई समायोजन नहीं किये गये थे। जहाँ कहीं भी यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, यह राष्ट्रीय औसत के बराबर किया गया।

चरण 3: वि व्यय-कु व्यय, सा से व्यय और पूँ व्यय-कुल व्यय के राष्ट्रीय औसत के आधार पर सम्बन्धित वि व्यय, सा से व्यय और पूँ व्यय की गणना करें, जिससे कि किसी भी राज्य में यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम न हों, अर्थात्, यदि

$$\text{वि व्यय/कु व्यय} = Y$$

$$\text{वि व्यय} = Y * \text{कु व्यय} \dots\dots\dots(2)$$

जहाँ Y, वि व्यय-कु व्यय अनुपात का राष्ट्रीय औसत है

(2) में (1) को प्रतिस्थापित करने पर, हम पायेंगे

$$\text{वि व्यय} = Y * X * \text{स रा घ उ} \dots\dots\dots(3)$$

जहाँ कहीं भी राज्यों का वि व्यय-कु व्यय, सा से व्यय-कु व्यय और पूँ व्यय-कु व्यय अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, कोई समायोजन नहीं किया गया। जहाँ यह अनुपात औसत से कम था, इन्हें राष्ट्रीय औसत के बराबर किया गया।

चरण 4: समीकरण (3) के अनुसार आगणित वि व्यय, सा से व्यय और पूँ व्यय के आधार पर, सम्बन्धित प्रति व्यक्ति व्यय की गणना की गयी, अर्थात्

$$\text{प्र व्य वि व्यय} = \text{वि व्यय/ज} \dots\dots\dots(4)$$

जहाँ प्र व्य वि व्यय, प्रति व्यक्ति विकास व्यय है और ज जनसंख्या है।

(4) में (3) को प्रतिस्थापित करने पर, हम पायेंगे

$$\text{प्र व्य वि व्यय} = (Y * X * \text{स रा घ उ}) / \text{ज} \dots\dots\dots(5)$$

समीकरण (5), समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय उपलब्ध कराता है। यदि समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय, प्रति व्यक्ति व्यय के राष्ट्रीय औसत से कम है, तब राज्य के व्यय का न्यून स्तर राजकोषीय क्षमता में कमी के कारण है। यह, व्यय के वास्तविक स्तर का चित्रण करता है जबकि सभी राज्य सरकारें इन क्षेत्रों को राजकोषीय प्राथमिकता, राष्ट्रीय औसत के बराबर देती है।

राजकोषीय समुच्चयों की प्रवृत्तियाँ और पद्धतियों का आकलन करने में प्रयुक्त कुछ चयनित शब्दावलियों की परिभाषा नीचे दी गयी है:

शब्द	गणना के आधार
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
प्राचल (X) की उत्प्लावकता, अन्य प्राचल (Y) के संदर्भ में	प्राचल (X) की वृद्धि दर/प्राचल (Y) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (आर ओ जी)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की धनराशि/विगत वर्ष की धनराशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
राज्य द्वारा अदा किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पिछले वर्ष की राजकोषीय दायित्व की राशि + चालू वर्ष के राजकोषीय दायित्व)*2]*100
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि-औसत ब्याज दर
बकाया ऋणों पर ब्याज प्राप्ति का प्रतिशत	प्राप्त ब्याज [(प्रारम्भिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतिम शेष)*2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम का निवल - राजस्व प्राप्ति - विविध पूँजीगत प्राप्ति
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी सी आर)	राजस्व प्राप्ति घटाव समस्त आयोजनागत अनुदान तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, जिसमें मुख्य शीर्ष 2048- ऋण की परिहार्यता के न्यूनीकरण के लिए विनियोग के अन्तर्गत अभिलेखित व्यय शामिल नहीं है।

परिशिष्ट 1.2

भाग ब

(संदर्भ: प्रस्तर 1.1; पृष्ठ 2)

राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005
(तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप मार्च 2011 में आंशिक संशोधित)

राजकोषीय स्थायित्व और सम्पोषणीयता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करते हुए राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करके और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण द्वारा विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग तथा राज्य सरकारों के राजकोषीय संचालनों में अधिक पारदर्शिता के माध्यम से सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार के उत्तरदायित्व और उससे सम्बन्धित अनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विशेष रूप से राज्य सरकार--

- (क) 1 अप्रैल 2011 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले चार वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर राजस्व घाटा शून्य करेगी;
- (ख) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यथासंस्तुत वर्ष 2011-12 व 2012-13 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत व तत्पश्चात् वर्ष 2013-14 व 2014-15 में 3 प्रतिशत रखेगी।
- (ग) 1 अप्रैल 2011 से मार्च 2015 तक के आगामी चार वर्षों में जी एस डी पी की तुलना में राजकोषीय दायित्व का अनुपात 41.10 प्रतिशत, 40 प्रतिशत, 38.50 प्रतिशत व 37.20 प्रतिशत से अधिक न होना सुनिश्चित करेगी;
- (घ) खण्ड (ग) में दिये गये लक्ष्य के संगत रीति से, खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में कमी करेगी;
- (ङ) राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त लक्ष्य प्रत्येक छःमाही में समीक्षित किए जाएँगे।
- (च) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय विद्यमान राज्य सरकार के किसी नियम या विधि या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या विधि के अधीन नियत सीमा से अधिक किसी धनराशि के लिए प्रत्याभूति नहीं देगी; एवं
- (छ) 1 अप्रैल, 2005 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले दस वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर सुनिश्चित करेगी कि अंतिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल दायित्व, उस वर्ष के लिए प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो।

मध्यकालिक राजकोषीय नीति के द्वारा राज्य के स्वयं के राजकोषीय सुधार पथ के सूचकों का परिणाम

(₹ करोड़ में)

	2013-14 (वास्तविक)	2014-15 (बजटीय)	2014-15 (पुनरीक्षित)	2015-16 (बजटीय)	2016-17 (परिलक्षित)	2017-18 (परिलक्षित)	2018-19 (परिलक्षित)
ए. राज्य का राजस्व लेखा :							
1. स्वयं का कर राजस्व	7355.34	8023.26	8196.26	9463.49	10977.65	12734.07	14898.86
2. स्वयं का करेत्तर राजस्व	1316.54	1807.46	1812.23	2068.06	2233.50	2412.19	2605.16
3. स्वयं का कर + करेत्तर राजस्व (1+2)	8671.88	9830.72	10008.49	11531.55	13211.15	15146.26	17504.02
4. केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में अंश	3573.38	4134.00	4134.00	5526.08	6133.95	6808.68	7557.64
5. योजनागत अनुदान	4142.86	9772.19	11443.84	8104.30	8914.73	9806.20	10786.82
6. योजनेत्तर अनुदान	932.41	737.54	922.24	615.75	756.78	846.44	948.66
7. कुल केन्द्रीय अन्तरण (4 से 6)	8648.65	14643.73	16500.08	14246.13	15805.46	17461.33	19293.12
8. कुल राजस्व प्राप्तियाँ (3+7)	17320.53	24474.45	26508.57	25777.68	29016.61	32607.58	36797.15
9. आयोजनागत व्यय	6001.07	11677.23	13634.10	11634.49	12027.94	13230.73	14553.81
10. आयोजनेत्तर व्यय	16087.47	18676.55	18771.71	21059.15	23586.25	27124.19	31192.81
11. वेतन व्यय	6814.85	8144.60	8254.32	9148.22	10337.49	11888.11	13671.33
12. पेंशन	2130.68	2424.48	2700.48	2623.90	2912.53	3232.91	3588.53
13. ब्याज भुगतान	2056.04	2947.93	2561.08	3380.14	3887.30	4466.94	5118.55

14. उपदान-सामान्य	--	--	--	--	--	--	--
15. उपदान-विद्युत	--	--	--	--	--	--	--
16. कुल राजस्व व्यय (9+10)	16216.41	23792.03	24352.48	25739.33	28795.23	32538.61	36768.63
17. वेतन+ब्याज+पेंशन (11+12+13)	11001.57	13517.01	13515.88	15152.26	17137.32	19587.96	22378.41
18. राजस्व प्राप्ति प्रतिशत के रूप में (17/8)	63.52	55.23	50.99	58.78	59.06	60.07	60.82
19. राजस्व अधिशेष/घाटा (8-16)	1104.12	682.42	2156.09	38.35	221.38	68.97	28.52
बी. समेकित राजस्व लेखा:							
समेकित राजस्व अधिशेष/घाटा	1104.12	682.42	2156.09	38.35	221.38	68.97	28.52
सी. समेकित ऋण:							
1. बकाया ऋण एवं दायित्व	26399.89	31051.52	30184.95	34047.93	39683.10	46123.52	53363.62
2. कुल अनिस्तारित प्रत्याभूतियाँ	1474.57	1474.57	1474.57	1831.87	1831.87	1831.87	1831.87
डी. पूँजीगत लेखा:							
1. पूँजीगत परिव्यय	3712.02	4591.37	5840.21	4004.85	5406.55	6109.40	6903.62
2. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	677.99	212.59	480.33	172.67	500.00	500.00	500.00
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	235.63	45.70	45.70	37.39	50.00	100.00	135.00

4. अन्य पूँजीगत प्राप्तियाँ	4038.48	4075.84	4118.75	4101.78	5635.17	6440.42	7240.10
ई. सकल राजकोषीय घाटा (जी एफ डी):	3050.26	4075.84	4118.75	4101.78	5635.17	6440.42	7240.10
चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	122897.24	138722.50	138722.50	156201.60	175883.00	198044.20	222997.80
एफ. राजकोषीय घाटा :							
वास्तविक/मान ली गई नगण्य वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.53	12.88	12.88	12.60	12.60	12.60	12.60
* इसमें भविष्य निधि की धनराशि समाहित है।							

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: प्रस्तर 1.3, 1.9.2 एवं 1.10 (ii); पृष्ठ 10, 30 एवं 36)

राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भाग अ. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	11,608	13,691	15,747	17,321	20,247
(i) कर राजस्व	4,405(38)	5,616(41)	6,414(41)	7,356(42)	8,339 (41)
कृषि आय पर कर	--	--	--	--	--
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,940(67)	3,644(65)	4,289(67)	4,903(67)	5,465 (65)
राज्य आबकारी	756(17)	844(15)	1,118(17)	1,269(17)	1,487 (18)
वाहनों पर कर	227(5)	335(6)	304(5)	369(5)	394 (5)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	440(10)	524(9)	648(10)	687(10)	714 (9)
भू-राजस्व	18(0.41)	10(--)	11(--)	22(--)	39 (--)
माल एवं यात्रियों पर कर	--	--	--	--	--
अन्य कर	24(0.54)	259(5)	44(1)	106(1)	240 (3)
(ii) करेत्तर राजस्व	678(6)	1,136(8)	1,603(10)	1,317(8)	1,111 (5)
(iii) केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यांश	2,460(21)	2,866(21)	3,273(21)	3,573(21)	3,792 (19)
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	4,065(35)	4,073(30)	4,457(28)	5,075(29)	7,005 (35)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	--	180	135
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	85	91	428	55	46
4. कुल राजस्व एवं ऋणत्तर पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	11,693	13,782	16,175	17,556	20,428
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	2,427	2,336	2,968	3,873	4,573
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	2,384(98)	2,289(98)	2,933(99)	3838(99)	4,512 (99)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	--	--	--	--
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	43(2)	47(2)	35(1)	35(1)	61 (1)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ(4+5)	14,120	16,118	19,143	21,429	25,001
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	582	126	32	412	332
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	18,829	19,668	21,925	25,954	35,032
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	33,531	35,912	41,100	47795	60,365

भाग ब. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	11,621	12,975	13,960	16,216	21,164
योजनागत	2,472(21)	2,321(18)	2,427(17)	2,767(17)	5,632 (27)
योजनेत्तर	9,149(79)	10,654(82)	11,533(83)	13,449(83)	15,532 (73)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतानों सहित)	4,180(36)	4,475(35)	5,372(38)	6,182(38)	7,402 (35)
सामाजिक सेवायें	5,169(44)	6,019(46)	6,096(44)	7,298(45)	9,224 (44)
आर्थिक सेवायें	1,864(16)	2,102(16)	1,995(14)	2,068(13)	3,857 (18)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	408(4)	379(3)	497(4)	668(4)	681 (3)
11. पूँजीगत व्यय	1,855	2,317	3,542	3,712	4,939
योजनागत	1,859(100)	2,071(89)	2,972(84)	3,138(85)	4,780 (97)
योजनेत्तर	(-) 4	246(11)	570(16)	574(15)	159 (3)
सामान्य सेवायें	105(5)	77(3)	129(4)	138(4)	214 (4)
सामाजिक सेवायें	235(13)	369(16)	715(20)	841(22)	1,231 (25)
आर्थिक सेवायें	1,515(82)	1,871(81)	2,698(76)	2,733(74)	3,494 (71)
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	60	247	273	278	151
13. राज्य का कुल व्यय (10+11+12)	13,536	15,539	17,775	20,206	26,254
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	519	1,016	1,472	1,317	894
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	448	667	1,412	1,266	866
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	45	323	31	--	--
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	26	26	29	51	28
15. आकस्मिकता निधि को विनियोग	515	(-) 400	--	400	150
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	14,570	16,155	19,247	21,923	27,298
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	537	69	32	194	194
18. लोक लेखा संवितरण	17,733	19,832	20,961	25,190	33,535
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	32,840	36,056	40,240	47,307	61,027
भाग स.घाटा /आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+)(1-10)	(-) 13	(+)716	(+)1,787	(+)1,105	(-) 917

21. राजकोषीय घाटा (4-13)	1,843	1,757	1,600	2,650	5,826
22. प्राथमिक घाटा / प्राथमिक आधिक्य (21+23)	(-) 363	(+) 12	(+)489	(-)594	(-) 3,420
भाग द. अन्य आँकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	1,480	1,769	2,089	2056	2406
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	408	379	497	668	681
25. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिवस)	93	73	2	16	12
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	1	0.88	0.01	0.09	0.13
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) [@]	83,969	97,858	1,08,250	1,22,897	1,38,723
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अन्त में)	21,598	23,609	25,540	28,767	33,480
29. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	1,511	1,739	1,570	1,475	1,832
30. प्रत्याभूत अधिकतम धनराशि (वर्ष के अन्त में)	2,122	2,722	2,722	2,513	2,951
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या (संख्या में)	89	63	192	96	141
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी (करोड़ में)	63	121.80	95	266	155.71
भाग य. राजकोषीय सुदृढ़ता-सूचक (अनुपात में)					
I संसाधन का जुटाव					
स्वयं का कर राजस्व/स रा घ उ	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06
स्वयं का करेत्तर राजस्व/स रा घ उ	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
केन्द्रीय अन्तरण/स रा घ उ	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08
II व्यय प्रबन्धन					
कुल व्यय/स रा घ उ	0.16	0.16	0.16	0.16	0.19
कुल व्यय /राजस्व प्राप्तियाँ	1.17	1.13	1.13	1.17	1.30
राजस्व व्यय/ कुल व्यय	0.86	0.83	0.79	0.80	0.81
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.40	0.41	0.40	0.40	0.40
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.25	0.26	0.26	0.24	0.28

पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.14	0.15	0.20	0.18	0.19
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.13	0.14	0.19	0.18	0.18
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/ स रा घ उ	(-) *	(+) 0.007	(+) 0.016	(+) 0.009	(-) 0.007
राजकोषीय घाटा/ स रा घ उ	(-) 0.022	(-) 0.018	(-) 0.015	(-) 0.022	(-) 0.04
प्राथमिक घाटा (अधिशेष) / स रा घ उ	(-) 0.004	(+) *	(+) 0.005	(-) 0.005	(-) 0.025
राजस्व घाटा / राजकोषीय घाटा	(+) 0.007	(-) 0.408	(-) 1.117	(-) 0.417	(+) 0.16
प्राथमिक राजस्व शेष/ स रा घ उ	(-) 0.018	(-) 0.010	(-) 0.002	(-) 0.007	(-) 0.023
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/ स रा घ उ	0.26	0.24	0.24	0.23	0.24
राजकोषीय दायित्व/ राजस्व प्राप्ति	1.86	1.72	1.62	1.66	1.65
ऋण पुनर्भुगतान (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	0.83	0.94	1.00	0.82	0.71
V अन्य राजकोषीय सुदृढ़ता सूचक					
निवेश का प्रतिफल	0.21	0.05	0.19	0.30	0.11
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	(-) 46	(-)250	(+)775	(-) 223	(-) 1,347
वित्तीय परिसम्पतियाँ/दायित्व	0.77	0.82	0.90	0.95	0.93

कोष्ठकों के आँकड़े प्रत्येक उपशीर्षों के योग से प्रतिशतता (पूर्णांक) को प्रस्तुत करते हैं।

@ सरकार द्वारा सूचित स रा घ उ के आँकड़े ग्रहण किये गये हैं।

* संगणन योग्य नहीं।

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ: प्रस्तर 1.1.1, एवं 1.9.2; पृष्ठ 2 एवं 30)

भाग अ

वर्ष 2014-15 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)					(₹ करोड़ में)					
प्राप्तियाँ					संवितरण					
विविध मद	2013-14		2014-15		विविध मद	2013-14	2014-15			
							आयोजनेत्तर	आयोजनागत	योग	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
खण्ड-अ राजस्व										
I-राजस्व प्राप्तियाँ		17,320.53		20,246.55	I-राजस्व व्यय	16,216.41	15,531.54	5,632.17	21,163.71	21,163.71
(i) कर राजस्व	7,355.34		8,338.47		सामान्य सेवार्य	6,182.04	7,346.72	55.56	7402.28	
(ii) करेत्तर राजस्व	1,316.54		1,110.44		सामाजिक सेवार्य	7,298.01	5,466.78	3,756.91	9223.69	
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	3,573.38		3,792.30		शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	4,067.53	3,832.05	885.59	4,717.64	
(iv) आयोजनेत्तर अन्दान	980.77		943.81		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	899.23	681.53	563.59	1,245.12	
(v) राज्य की आयोजनागत योजनाओं के लिए अन्दान	3,558.07		4,083.15		जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	547.58	209.66	631.39	841.05	
(vi) केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं हेतु अन्दान	536.43		1,978.38		सूचना एवं प्रसारण	48.31	52.12	0.83	52.95	
					अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	251.87	103.38	232.18	335.56	
		--			श्रम तथा श्रमिक कल्याण	98.05	106.19	21.36	127.55	
					समाज कल्याण एवं पोषण	1346.76	467.45	1369.24	1836.69	
					अन्य	38.67	14.40	52.73	67.13	
					आर्थिक सेवार्य	2067.95	2036.77	1819.70	3856.47	
					कृषि तथा सम्बद्ध क्रिया-कलाप	1013.41	1093.93	456.02	1549.95	
					ग्राम्य विकास	356.52	269.20	1232.64	1501.84	
					विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	--	--	--	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	319.30	356.54	0.07	356.61	
					ऊर्जा	7.37	3.66	1.64	5.30	
					उद्योग एवं खनिज	54.39	32.34	25.96	58.30	
					परिवहन	224.59	247.58	26.36	273.94	

					विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	8.53	1.07	7.85	8.92	
					सामान्य आर्थिक सेवार्ये	83.84	32.45	69.16	101.61	
					सहायता अनुदान एवं अंशदान	668.41	681.27	--	681.27	
योग		17,320.53		20,246.55	योग	16,216.41				21,163.71
II-राजस्व घाटा खण्ड-ब को अन्तरित		--		917.16	II- राजस्व अधिशेष खण्ड-ब को अन्तरित	1,104.12				
योग		17,320.53		21,163.71	योग	17,320.53				21,163.71
III-स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष		1,945.54		2,433.41	III- रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से प्रारम्भिक ओवरड्राफ्ट	--				--
IV- विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	180.40		135.33	IV- पूँजीगत परिच्यय	3712.03	158.75	4780.26	4939.01	4939.01
					सामान्य सेवार्ये	137.09	1.00	212.66	213.66	
					सामाजिक सेवार्ये	840.81	--	1,230.74	1,230.74	
					शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	306.96	--	427.20	427.20	
					स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	148.02	--	260.42	260.43	
					जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	282.84	--	384.24	384.24	
					सूचना एवं प्रसारण	--	--	--	--	
					अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	78.43	--	63.69	63.69	
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण	14.15	--	79.33	79.33	
					अन्य सामाजिक सेवार्ये	10.41		15.85	15.85	
					आर्थिक सेवार्ये	2,733.32	157.75	3,336.86	3,494.61	
					कृषि तथा सम्बद्ध क्रिया-कलाप	598.08	132.52	54.16	186.68	
					ग्राम्य विकास	325.97	0.23	701.24	701.47	
					विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	--	--	--	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	460.08	--	764.10	764.10	
					ऊर्जा	255.62		171.25	171.25	
					उद्योग एवं खनिज	9.36		12.98	12.98	
					परिवहन	1,051.80	25.00	1,544.82	1,569.82	
					सामान्य आर्थिक सेवार्ये	32.41	--	88.31	88.31	
					योग	3,712.03	158.75	4780.26	4,939.01	4,939.01
V-ऋण एवं अग्रिमों की वसुलियाँ		55.23		45.58	V- संवितरित ऋण एवं अग्रिम	277.99	1.92	149.05	150.97	150.97

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

विद्युत परियोजनाओं से	47.26		39.89		विद्युत परियोजनाओं के लिए	52.53	--	11.26	11.26	
सरकारी कर्मचारियों से	3.60		3.04		सरकारी कर्मचारियों को	1.27	1.47	--	1.47	
अन्य से	4.37		2.65		अन्य को	224.19	0.45	137.79	138.24	
VI- राजस्व अधिशेष नीचे लाया गया		1,104.12			VI- राजस्व घाटा नीचे लाया गया	--	--	--	--	917.16
VII- लोक ऋण प्राप्तियाँ		3,873.17		4,573.42	VII- लोक ऋण का पुनर्भगतान	1,316.81				893.89
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण	3,838.21		4,512.42		अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण	1,265.51			865.49	
ओवरड्राफ्ट सहित अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन-देन	--	--	--	--	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	NIL	--	--	--	
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	34.96		61.00		केन्द्रीय सरकार को ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भगतान	51.30			28.40	
VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोग	--			--	VIII- आकस्मिकता निधि को विनियोग	400.00				150.00
IX- आकस्मिकता निधि में अन्तरित राशि		412.00		331.98	IX- आकस्मिकता निधि से व्यय	194.48				194.15
X- लोक लेखा प्राप्तियाँ		25,954.59		35,032.49	X- लोक लेखा सवितरण	25,190.33				33,534.94
लघु बचत एवं भविष्य निधि	1313.17		1399.93		लघु बचत एवं भविष्य निधि	990.73			979.73	
आरक्षित निधियाँ	468.31		306.59		आरक्षित निधियाँ	472.24			92.02	
जमा एवं अग्रिम	3086.84		3484.42		जमा एवं अग्रिम	2,735.10			3,085.04	
उचत एवं विविध	16,269.57		24,453.93		उचत एवं विविध	16,492.77			24,440.43	
प्रेषण	4816.69		5387.56		प्रेषण	4,499.49			4,937.72	
XI- भारतीय रिजर्व बैंक से अन्तिम ओवर ड्राफ्ट					XI-अन्त में रोकड़ शेष	2,433.41				1,772.03
					कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	--	--	--	--	
					स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष	(-)3.02	--	--	(-)2.99	
					रिजर्व बैंक में जमा	558.31	--	--	104.19	
					रोकड़ शेष का निवेश व नैमित्तिक निधि के निवेश	1878.12	--	--	1,670.83	
योग		33,525.05		42,552.15	योग	33,525.05				42,552.15

परिशिष्ट 1.4 (क्रमशः)

भाग ब

(संदर्भ: प्रस्तर 1.9.1; पृष्ठ 30)

31 मार्च 2015 को उत्तराखण्ड सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31.03.2014 को	दायित्व	31.03.2015 को
20,909.92	आन्तरिक ऋण	24,556.86
10,930.44	ब्याज वहन करने वाले बाजार ऋण	13,021.59
0.12	ब्याज वहन न करने वाले बाजार ऋण	0.12
1.50	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	1.50
9,977.86	अन्य संस्थाओं से ऋण	11,533.64
--	अर्थोपाय अग्रिम	--
--	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	--
445.20	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	477.80
0.53	1984-85 से पहले के ऋण	0.53
5.97	आयोजनेत्तर ऋण	5.48
438.70	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	471.79
--	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	--
--	केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	--
600.00	आकस्मिकता निधि (संग्रह)	750.00
5,042.79	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	5,462.98
2,223.22	जमा	2,622.62
1,224.16	आरक्षित निधियाँ	1,438.73
--	प्रेषण शेष	--
30,445.29	योग	35,308.99

परिवर्तित प्रारूप*

परिशिष्ट 1.4 भाग ब (क्रमशः)

31.03.2014 को	परिसम्पत्तियाँ	31.03.2015 को
23,834.00	अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	28,773.00
2,676.51	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	2808.56
21,157.49	अन्य पूँजीगत परिव्यय	25964.44
940.97	ऋण एवं अग्रिम	1,046.36
82.12	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	53.49
866.68	अन्य विकास ऋण	1,001.82
(-) 7.83	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	(-) 8.95
279.63	आकस्मिकता निधि को विनियोग	291.81
1,124.53	प्रेषण	674.70
377.57	उचंत एवं विविध शेष	364.08
2,433.41	रोकड़	1,772.03
--	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	--
558.31	रिजर्व बैंक में जमा	104.19
(-)2.15	विभागीय रोकड़ शेष सहित	(-) 2.15
(-)0.87	स्थायी अग्रिम	(-) 0.84
1878.12	रोकड़ शेष निवेश	1,670.83
1455.18	सरकारी लेखों में घटा	2,387.01
1104.12	i. चालू वर्ष के राजस्व आधिक्य को घटायें	--
--	ii. आकस्मिकता निधि में विनियोजन एवं विविध पूँजीगत प्राप्ति	917.16
(-)219.60	iii. सरकारी खाते में समाहित धनराशि	14.67
(-)205.03	iv. वर्ष के प्रारम्भ में संचित घटा	--
2134.67	v. प्रोफार्मा सुधार घटाया	1,455.18
30,445.29	योग	35,308.99

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्वोक्त विवरण पत्रों में दर्शाये गये संक्षिप्त लेखे को वित्त लेखे में दी गई टिप्पणियों और स्पष्टीकरणों के साथ ही पढ़ना होगा।

परिशिष्ट 1.4 में यथादर्शित सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधार पर होने के कारण, वाणिज्यिक लेखांकन में उपाजित आधार के विपरीत, रोकड़ आधार पर होने की स्थिति को इंगित करता है। परिणामतः भुगतान योग्य अथवा प्राप्ति योग्य मदें या मूल्य हास अथवा भण्डार के आँकड़ों में भिन्नता इत्यादि जैसी मदें लेखे में नहीं दर्शाई गई हैं। उचंत तथा विविध अवशेषों में, जारी परन्तु भुगतान नहीं किये गये चैक, राज्य की ओर से किये गये भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन आदि सम्मिलित हैं। “रिजर्व बैंक में जमा” के अन्तर्गत लेखों में प्रदर्शित एवं रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए आँकड़ों के मध्य ₹ 13.04 करोड़ (क्रेडिट) का अन्तर था जिसका मिलान किया जा रहा है।

परिशिष्ट - 1.5

(संदर्भ: प्रस्तर 1.8.3; पृष्ठ 28)

विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक / वाणिज्यिकवत उपक्रमों का सारांशित वित्तीय विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	माध्य सरकारी पूँजी	मूल्यहासित लागत पर अवरुद्ध परिसंपत्तियां	वर्ष के दौरान उपबंधित मूल्यहास	आवर्त	कुल लाभ/हानि	पूँजी पर ब्याज	कुल प्रतिफल (8+9)	पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सिंचाई कार्यशाला खंड, रुड़की	2011-12	191.72	80.57	6.03	55.57	(-) 26.22	23.49	(-) 2.73	(-) 1.42
2(अ)	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी	2002-03	-	58.25	6.64	19,644.70	(-) 1,873.25	-	(-) 1,873.25	-
2(ब)	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, देहरादून	2002-03	-	9.97	1.00	8,357.23	(-) 1,797.44	-	(-) 1,797.44	-

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.1; पृष्ठ 47)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें व्ययाधिक्य प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	कुल व्यय	व्ययाधिक्य	व्ययाधिक्य का प्रतिशत
पूँजीगत(दत्तमत)						
1.	17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	1,39.33	1,59.09	19.76	14.18
2.	22	लोक निर्माण	13,33.60	14,93.39	1,59.79	11.98
3.	25	खाद्य	6.46	17,44.71	17,38.25	2,69,07.89
4.	29	उद्यान विकास	00	5.00	5.00	अगणनीय
योग			14,79.39	34,02.19	19,22.80	129.97

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.5; पृष्ठ 49)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिनमें ₹ एक करोड़ से अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	आधिक्य
1.	17	कृषि कार्य एवं अनुसंधान (पूँजीगत - दत्तमत)	4.43	1,34.90	1,39.33	1,59.09	19.76
2.	22	लोक निर्माण (पूँजीगत-दत्तमत)	6,80.60	6,53.00	13,33.60	14,93.39	1,59.79
3.	25	खाद्य (पूँजीगत-दत्तमत)	5.00	1.46	6.46	17,44.71	17,38.25
योग			6,90.03	7,89.36	14,79.39	33,97.19	19,17.80

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.6; पृष्ठ 49)

व्यय की तीव्रता

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखाशीर्ष योजना/ सेवा	जनवरी-मार्च 2015 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2015 के दौरान किया गया व्यय	कुल व्यय	के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता	
					जनवरी-मार्च 2015	मार्च 2015
1.	2013	85.38	40.31	1,26.78	67.35	31.80
2.	2030	18.13	11.63	29.01	62.50	40.09
3.	2204	19.40	7.44	37.76	51.38	19.70
4.	2205	10.50	8.37	19.96	52.61	41.93
5.	2215	4,66.76	3,26.03	7,85.71	59.41	41.49
6.	2217	37.08	31.24	53.29	69.58	58.62
7.	2225	1,85.88	1,33.67	3,35.56	55.39	39.83
8.	2235	5,73.64	3,16.95	11,26.84	50.91	28.13
9.	2250	53.88	31.27	66.89	80.55	46.75
10.	2404	25.34	6.28	32.20	78.70	19.50
11.	2701	6.98	5.83	13.87	50.32	42.03
12.	2810	3.23	3.23	5.23	61.76	61.76
13.	3451	8.69	8.22	11.29	76.97	72.81
14.	3452	53.69	50.58	68.34	78.56	74.01
15.	4055	44.40	39.75	48.38	91.77	82.16
16.	4059	1,51.15	1,20.56	1,65.28	91.45	72.94
17.	4202	3,11.35	2,49.05	4,27.20	72.88	58.30
18.	4210	2,36.98	1,94.79	2,60.42	91.00	74.80
19.	4216	1,24.26	1,17.01	1,30.02	95.57	89.99
20.	4217	94.20	52.49	1,57.86	59.67	33.25
21.	4225	61.93	61.93	63.69	97.24	97.24
22.	4235	73.71	73.36	79.33	92.92	92.47
23.	4250	12.85	6.14	15.85	81.07	38.74
24.	4700	1,80.91	1,54.56	2,73.25	66.21	56.56
25.	4711	1,56.05	96.11	3,10.65	50.23	30.94
26.	5053	83.44	83.44	86.54	96.42	96.42
27.	6401	1,34.89	1,34.89	1,34.89	100.00	100.00
28.	6801	9.58	9.58	11.26	85.08	85.08
योग		32,24.28	23,74.71	48,77.35	66.11	48.69

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.7.1; पृष्ठ 49)

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचत	अनुपूरक प्रावधान
क - राजस्व (दत्तमत)					
1.	01 विधायिका	27.41	26.45	0.96	1.15
2.	04 न्यायिक प्रशासन	1,42.94	1,11.98	30.96	4.77
3.	06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	20,23.42	10,28.68	9,94.74	42.96
4.	07 वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	43,17.67	41,45.80	1,71.87	3,08.40
5.	08 उत्पाद शुल्क	14.48	14.26	0.22	1.23
6.	10 पुलिस एवं कारागार	11,27.94	10,96.85	31.09	69.46
7.	11 शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	49,45.50	45,48.37	3,97.13	3,44.34
8.	15 कल्याण	11,71.05	10,67.40	1,03.65	2,38.91
9.	16 श्रम एवं रोजगार	1,68.93	1,51.38	17.55	40.66
10.	17 कृषि कार्य एवं शोध	5,19.96	4,67.39	52.57	38.52
11.	18 सहकारी	43.08	38.95	4.13	3.80
12.	19 ग्राम्य विकास	8,15.58	6,21.40	1,94.18	4,57.28
13.	20 सिंचाई एवं बाढ़	4,16.86	3,61.98	54.88	8.52
14.	22 लोक निर्माण	7,24.55	5,79.09	145.46	60.00
15.	23 उद्योग	90.99	79.57	11.42	2.61
16.	25 खाद्य	2,28.12	2,03.73	24.39	2,00.34
17.	26 पर्यटन	1,00.81	68.34	32.47	10.00
18.	27 वन	4,93.69	4,75.64	18.05	1,01.88
कुल राजस्व (दत्तमत)		1,73,72.98	1,50,87.26	22,85.72	19,34.83
ख - राजस्व (प्रभारित)					
1.	02 राज्यपाल	6.97	6.22	0.75	0.44
2.	04 न्यायिक प्रशासन	29.81	24.69	5.12	2.47
3.	07 वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	30,64.93	24,07.64	6,57.29	0.
4.	09 लोक सेवा आयोग	11.91	10.82	1.09	0.50
कुल राजस्व (प्रभारित)		31,13.62	24,49.37	6,64.25	3.56
ग-पूँजीगत (दत्तमत)					

1.	04 न्यायिक प्रशासन	25.00	14.96	10.04	9.50
2.	06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	8.40	4.05	4.35	0.50
3.	13 जल आपूर्ति,आवास एवं शहरी विकास	6,95.50	2,35.65	4,59.85	18.00
4.	15 कल्याण	1,44.93	82.75	62.18	12.11
5.	20 सिंचाई एवं बाढ़	8,12.38	7,76.06	36.32	2,11.54
6.	23 उद्योग	14.69	12.98	1.71	24.10
7.	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	4,99.39	2,67.62	2,31.77	67.91
8.	31 अनुसूचित जन जातियों का कल्याण	1,26.12	1,20.75	5.37	37.00
कुल पूँजीगत (दत्तमत)		23,26.41	15,14.82	811.59	3,80.66
महा योग		2,28,13.01	1,90,51.45	37,61.56	23,19.05

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.7.2; पृष्ठ 49)

₹ 10 लाख या अधिक की बचत (निधियों के उपयोग में कमी)/आधिक्य में परिणत निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग

(₹ लाख में)

क्रम सं.	अनुदान सं.	विवरण	दत्तमत / भारत	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोग	अन्तिम आधिक्य(+)/ बचत (-)
1.	01	विधायिका	राजस्व-दत्तमत	2011-02-101-03	(-)62.00	(-)1,61.13
			राजस्व-दत्तमत	2011-02-103-03	(+)62.00	(-)50.26
2.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	पूँजीगत-दत्तमत	4202-03-102-01	(-)20.40	(-)9,29.32
3.	15	कल्याण	राजस्व-दत्तमत	2250-00-800-18	(+)4.50	(-)21.38
			राजस्व-दत्तमत	2250-00-800-21	(-)4.50	(-)31.45
4.	18	सहकारी	राजस्व-दत्तमत	2425-00-001-03	(-)10.50	(-)4,21.25
5.	24	परिवहन	राजस्व-दत्तमत	3055-00-190-07	(-)59.00	(-)41.00

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.7.3; पृष्ठ 49)

वर्ष 2014-15 के दौरान किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या व शीर्षक	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल अनुदान	अभ्यर्पण राशि	अभ्यर्पण का प्रतिशतता
1.	11- शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	2204-00-001-01	3,82.89	1,23.43	32.24
		2204-00-001-05	80.00	52.90	66.13
		2204-00-001-11	90.00	90.00	100.00
2.	28- पशुपालन	2403-00-101-01	23,27.32	15,41.60	66.24
		2403-00-101-09	2,25.31	90.57	40.20
		2403-00-107-01	3,57.00	3,57.00	100.00
3.	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	2403-00-106-02	6,26.10	2,57.71	41.16
		2403-00-107-01	1,55.90	80.00	51.31
		4403-00-101-02	94.62	94.62	100.00
4.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	2403-00-796-17	67.41	67.41	100.00
		2403-00-796-21	94.00	94.00	100.00
योग			45,00.55	28,49.24	63.31

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.7.4; पृष्ठ 50)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें ₹ पाँच करोड़ या अधिक की बचत हुई परन्तु उसका कोई भी अंश अभ्यर्पित नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान / विनियोग	व्यय	बचत
1.	01	विधान मण्डल (पूँजीगत-दत्तमत)	1,13.10	93.13	19.97
2.	04	न्याय प्रशासन (राजस्व- दत्तमत)	1,47.71	1,11.98	35. 73
		न्याय प्रशासन (राजस्व -प्रभारित)	32.28	24.69	7.59
		न्याय प्रशासन (पूँजीगत- दत्तमत)	34.50	14.96	19.54
3.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन (राजस्व- दत्तमत)	20,66.38	10,28.68	10,37.70
4.	07	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (राजस्व-दत्तमत)	46,26.07	41,45.80	4,80.27
		वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (राजस्व -भारित)	30,65.08	24,07.64	6,57.44
		वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (पूँजीगत-दत्तमत)	3,11.26	2,88.17	23.09
		वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (पूँजीगत-भारित)	17,57.79	10,74.05	6,83.74
5.	10	पुलिस एवं कारागार (राजस्व-दत्तमत)	11,97.40	10,96.85	1,00.55
		पुलिस एवं कारागार (पूँजीगत- दत्तमत)	58.93	51.38	7.55
6.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व- दत्तमत)	15,96.65	11,99.31	3,97.34
		चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पूँजीगत- दत्तमत)	2,76.41	2,52.14	24.27
7.	13	जलपूर्ति, आवास, एवं शहरी विकास (राजस्व- दत्तमत)	9,50.39	7,74.53	1,75.86
		जलपूर्ति, आवास, एवं शहरी विकास (पूँजीगत- दत्तमत)	7,13.50	2,35.65	4,77.85
8.	15	कल्याण (राजस्व- दत्तमत)	14,09.96	10,67.40	3,42.56
		कल्याण (पूँजीगत- दत्तमत)	1,57.04	82.75	74.29
9.	16	श्रम एवं सेवायोजन (राजस्व- दत्तमत)	2,09.59	1,51.38	58.21
		श्रम एवं सेवायोजन (पूँजीगत- दत्तमत)	74.60	41.33	33.27
10.	17	कृषि कार्य एवं अनुसंधान (राजस्व-दत्तमत)	5,58.48	4,67.39	91.09

11.	18	सहकारी (राजस्व-दत्तमत)	46.88	38.95	7.93
12.	19	ग्रामीण विकास (राजस्व-दत्तमत)	12,72.86	6,21.40	6,51.46
		ग्रामीण विकास (पूँजीगत-दत्तमत)	8,23.45	6,03.82	2,19.63
13.	20	सिंचाई एवं बाढ़ (राजस्व-दत्तमत)	4,25.39	3,61.98	63.41
		सिंचाई एवं बाढ़ (पूँजीगत-दत्तमत)	10,23.92	7,76.06	2,47.86
14.	21	उर्जा (राजस्व-दत्तमत)	26.79	5.11	21.68
		उर्जा (पूँजीगत-दत्तमत)	4,92.71	1,31.05	3,61.66
15.	22	लोक निर्माण (राजस्व-दत्तमत)	7,84.55	5,79.09	2,05.46
16.	23	उद्योग (राजस्व-दत्तमत)	93.60	79.57	14.03
		उद्योग (पूँजीगत-दत्तमत)	38.79	12.98	25.81
17.	24	परिवहन (राजस्व-दत्तमत)	49.22	43.95	5.27
		परिवहन (पूँजीगत-दत्तमत)	1,18.45	88.45	30.00
18.	25	खाद्य (राजस्व-दत्तमत)	4,28.46	2,03.73	2,24.73
19.	26	पर्यटन (राजस्व-दत्तमत)	1,10.81	68.34	42.47
		पर्यटन (पूँजीगत-दत्तमत)	2,68.26	88.31	1,79.95
20.	27	वन (राजस्व-दत्तमत)	5,95.57	4,75.64	1,19.93
		वन (पूँजीगत-दत्तमत)	59.10	50.73	8.37
21.	29	उद्यान-कृषि विकास (राजस्व-दत्तमत)	1,92.71	1,51.40	41.31
योग			2,62,08.64	1,89,89.77	72,18.87

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.7.4; पृष्ठ 50)

₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता के विवरण जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना शेष था
राजस्व -दत्तमत				
1.	01-विधायिका	2.11	0.00	2.11
2.	03-मंत्रियों का समूह	1.16	0.00	1.16
3.	04-न्यायिक प्रशासन	35.73	0.00	35.73
4.	05-चुनाव	1.98	0.00	1.98
5.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	10,37.70	0.00	10,37.70
6.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	4,80.27	0.00	4,80.27
7.	08- आबकारी	1.44	0.00	1.44
8.	10- पुलिस एवं कारागार	1,00.55	0.00	1,00.55
9.	11-शिक्षा, खेल-कूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	7,41.48	4.26	7,37.22
10.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,97.34	0.00	3,97.34
11.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	1,75.86	0.00	1,75.86
12.	14- सूचना	1.01	0.00	1.01
13.	15-कल्याण	3,42.56	0.00	3,42.56
14.	16-श्रम एवं रोजगार	58.21	0.00	58.21
15.	17-कृषि कार्य एवं शोध	91.09	0.00	91.09
16.	18-सहकारी	7.93	0.00	7.93
17.	19-ग्रामीण विकास	6,51.46	0.00	6,51.46
18.	20-सिंचाई एवं बाढ़	63.41	0.00	63.41
19.	21-ऊर्जा	21.68	0.00	21.68
20.	22-लोक निर्माण	2,05.46	0.00	2,05.46
21.	23- उद्योग	14.03	0.00	14.03

22.	24-परिवहन	5.27	0.00	5.27
23.	25- खाद्य	2,24.73	0.00	2,24.73
24.	26- पर्यटन	42.47	0.00	42.47
25.	27- वन	1,19.93	0.00	1,19.93
26.	28-पशुपालन	33.92	26.27	7.65
27.	29-उद्यान विकास	41.31	0.00	41.31
28.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	2,69.50	3.66	2,65.84
29.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	95.59	1.70	93.89
योग		52,65.18	35.89	52,29.29
राजस्व-प्रभारित				
1.	02-राज्यपाल	1.19	0.00	1.19
2.	04-न्यायिक प्रशासन	7.59	0.00	7.59
3.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1.06	0.00	1.06
4.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	6,57.44	0.00	6,57.44
5.	09-लोक सेवा आयोग	1.59	0.00	1.59
6.	22-लोक निर्माण	4.71	0.00	4.71
योग		6,73.58	0.0	6,73.58
पूँजीगत-दत्तमत				
1.	01-विधान मण्डल	19.97	0.00	19.97
2.	04-न्यायिक प्रशासन	19.54	0.00	19.54
3.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	4.85	0.00	4.85
4.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	23.09	0.00	23.09
5.	10-पुलिस एवं कारागार	7.55	0.00	7.55
6.	11-शिक्षा, खेल-कूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	1,89.88	0.01	1,89.87
7.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	24.27	0.00	24.27
8.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	4,77.85	0.00	4,77.85
9.	15-कल्याण	74.29	0.00	74.29
10.	16-श्रम एवं रोजगार	33.27	0.00	33.27
11.	19-ग्रामीण विकास	219.63	0.00	219.63
12.	20-सिंचाई एवं बाढ़	247.86	0.00	247.86
13.	21-ऊर्जा	3,61.66	0.00	3,61.66

14.	23-उद्योग	25.81	0.00	25.81
15.	24-परिवहन	30.00	0.00	30.00
16.	26- पर्यटन	179.95	0.00	179.95
17.	27- वन	8.37	0.00	8.37
18.	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	299.68	0.95	298.73
19.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	42.37	0.44	41.93
योग		22,89.89	1.40	22,88.49
पूँजीगत-प्रभारित				
1.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	6,83.74	0.00	6,83.74
योग		6,83.74	0.00	6,83.74
महायोग		89,12.39	37.29	88,75.10

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.7.4; पृष्ठ 50)

30/31 मार्च 2015 को ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
1	2	3		4	5
1.	28	2403-पशुपालन	162.76	26.27	16.14
योग			162.76	26.27	16.14

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.7.5; पृष्ठ 50)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचतें	प्रतिशत
राजस्व-दत्तमत					
1.	01	विधायिका	28.56	2.11	7.39
2.	03	मंत्री परिषद	1,27.94	1.16	0.91
3.	04	न्यायिक प्रशासन	1,47.71	35.73	24.19
4.	05	चुनाव	49.89	1.98	3.97
5.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	20,66.38	10,37.70	50.22
6.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	46,26.07	4,80.28	10.38
7.	08	आबकारी	15.70	1.44	9.17
8.	10	पुलिस एवं कारागार	11,97.40	1,00.55	8.40
9.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	52,89.85	7,41.48	14.02
10.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15,96.65	3,97.34	24.89
11.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	9,50.39	1,75.86	18.50
12.	14	सूचना	53.77	1.01	1.88
13.	15	कल्याण	14,09.96	3,42.56	24.30
14.	16	श्रम एवं रोजगार	2,09.59	58.20	27.77
15.	17	कृषि कार्य एवं शोध	5,58.47	91.09	16.31
16.	18	सहकारिता	46.88	7.93	16.92
17.	19	ग्रामीण विकास	12,72.86	6,51.46	51.18
18.	20	सिंचाई व बाढ़	4,25.39	63.41	14.91
19.	21	ऊर्जा	26.79	21.68	80.93
20.	22	लोक निर्माण	7,84.55	2,05.45	26.19

21.	23	उद्योग	93.59	14.02	14.98
22.	24	परिवहन	49.22	5.27	10.71
23.	25	खाद्य	4,28.45	2,24.72	52.45
24.	26	पर्यटन	1,10.81	42.47	38.33
25.	27	वन	5,95.57	1,19.93	20.14
26.	28	पशुपालन	2,06.57	33.92	16.42
27.	29	उद्यान विकास	1,92.71	41.31	21.44
28.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	11,25.38	2,69.50	23.95
29.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	2,94.24	95.59	32.49
योग			2,39,81.34	52,65.15	21.96
राजस्व-प्रभारित					
1.	02	राज्यपाल	7.41	1.19	16.06
2.	04	न्यायिक प्रशासन	32.28	7.59	23.51
3.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2.51	1.06	42.23
4.	07	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	30,65.08	6,57.44	21.45
5.	09	लोक सेवा आयोग	12.41	1.59	12.81
6.	22	लोक निर्माण	4.99	4.71	94.39
योग			31,24.68	6,73.58	21.56
पूँजीगत-दत्तमत					
1.	01	विधान मण्डल	1,13.10	19.97	17.66
2.	04	न्यायिक प्रशासन	34.50	19.54	56.64
3.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	8.90	4.85	54.49
4.	07	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	3,11.26	23.09	7.42
5.	10	पुलिस एवं कारागार	58.93	7.55	12.81
6.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	5,96.90	1,89.88	31.81
7.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार	2,76.41	24.27	8.78

		कल्याण			
8.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	7,13.50	4,77.85	66.97
9.	15	कल्याण	1,57.04	74.29	47.31
10.	16	श्रम एवं रोजगार	74.60	33.27	44.60
11.	19	ग्रामीण विकास	8,23.45	2,19.63	26.67
12.	20	सिंचाई व बाढ़	10,23.92	2,47.86	24.21
13.	21	ऊर्जा	4,92.71	3,61.66	73.40
14.	23	उद्योग	38.79	25.81	66.54
15.	24	परिवहन	1,18.45	30.00	25.33
16.	26	पर्यटन	2,68.26	1,79.96	67.08
17.	27	वन	59.10	8.37	14.16
18.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	5,67.29	2,99.68	52.83
19.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	1,63.13	42.37	25.97
योग			59,00.24	22,89.90	38.81
पूँजीगत-भारित					
1.	07	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	17,57.79	6,83.74	38.90
योग			17,57.79	6,83.74	38.90
महा योग			3,47,64.05	89,12.37	25.64

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.8; पृष्ठ 54)

2012-15 के दौरान वर्ष के अन्त में जमा खाते में स्थान्तरित की गयी निधि

(₹ करोड़ में)

वर्ष/विभाग का नाम (खाता धारक)	निधि स्थानान्तरण की तिथि	कहाँ से स्थानान्तरण (लेखाशीर्ष)	कहाँ पर स्थानान्तरण (लेखाशीर्ष जमा)	जमा शीर्ष में स्थानान्तरण
2012-13				
नागरिक उड्डयन विभाग देहरादून	30 मार्च 2013	5053-02-800-99	8443-00-800	62.00
योग				62.00
2013-14				
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं वित्त नियन्त्रक, उत्तराखण्ड, के वी आई बी देहरादून	31 मार्च 2014	नकद चालान	8443-00-800	2.40
वित्त नियन्त्रक, परिवहन निगम, देहरादून,	31 मार्च 2014	नकद चालान	8443-00-800	10.00
जिलाधिकारी, देहरादून	29 मार्च 2014	4250-00-800-09	8443-00-800	1.34
	30 मार्च 2014	4202-02-105-(7 से 11)	8443-00-800	23.61
	31 मार्च 2014	नकद चालान	8443-00-800	26.00
		4202-03-102-(18,01,20)	8443-00-800	16.52
योग				79.87
2014-15				
अक्षय ऊर्जा विभाग अभिकरण (उरेडा)	26 मार्च 2015	2045-00-103-04	8443-00-800	2.00
योग				2.00
महायोग				1,43.87

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भ: प्रस्तर 2.5; पृष्ठ 56)

वर्ष 2014-15 के दौरान आकस्मिक निधि से किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं हो सकी

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान स.	मुख्य शीर्ष	आकस्मिक निधि से अग्रिम
1.	03-मंत्रियों का समूह	2013	15.10
2.	05-निर्वाचन	2015	0.003
3.	06-प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत	2245	10.00
4.	09-लोक सेवा आयोग	2051	3.28
5.	11-सामान्य शिक्षा	2202	2.21
6.	14-सूचना एवं प्रचार	2220	2.50
7.	15-कल्याण	2225	23.04
		2235	41.71
8.	17-कृषि कार्य	2401	29.84
9.	30-दुग्ध विकास	2404	0.12
10.	19-अन्य ग्रामीण विकास योजनाएँ	2515	0.21
11.	23-अन्य वैज्ञानिक शोध	3425	7.76
12.	22-लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	4059	6.50
13.	11-शिक्षा, खेल, कला, एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	4202	25.00
14.	12-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत व्यय	4210	5.00
15.	15-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	4225	20.88
16.	17-कृषि कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	4401	1.00
योग			1,94.153

स्रोत: महालेखाकर (ले. एवं ह.) ,उत्तराखण्ड के वीएलसी आँकड़ों से एकत्रित सूचना

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ: प्रस्तर 2.5; पृष्ठ 56)

वर्ष 2000-14 के दौरान आकस्मिक निधि से किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं हो सकी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्यशीर्ष	प्रतिपूर्ति न हुई आकस्मिक निधि												योग
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
1.	2013	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	99.99	--	99.99
2.	2014	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14.41	14.41
3.	2029	--	--	7.57	0.50	1.03	--	--	4.67	21.55	--	--	--	35.32
4.	2053	--	--	--	45.84	--	--	--	--	--	--	--	--	45.84
5.	2070	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.20	--	0.20
6.	2040	--	8.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8.56
7.	4515	--	--	--	--	--	258.19	--	--	37.90	--	--	--	2,96.09
8.	2202	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.80	2.80
9.	2210	--	10.19	--	--	--	--	--	278.35	--	--	--	25.00	3,13.54
10.	4210	--	--	--	50.00	80.00	--	--	--	--	--	--	--	1,30.00
11.	2217	--	--	--	--	--	--	--	--	35.00	--	--	--	35.00
12.	2225	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10.00	10.00
13.	2535	--	--	--	--	--	--	--	1.96	7.59	--	--	9.71	19.26
14.	2230	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.80	7.77	10.57
15.	2425	--	--	--	--	--	2.50	--	--	--	5,13.95	0.07	--	5,16.52
16.	2515	--	--	--	--	--	--	--	--	631.53	14.18	--	--	6,45.71
17.	4515	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36,16.00	18,32.35	--	54,48.35
18.	4801	2,00.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,00.00
19.	2059	66.90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96.00	1,62.90
20.	4059	87.32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87.32
21.	2853	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	129.60	1,29.60
22.	3456	--	--	--	--	--	--	19.50	--	--	--	--	--	19.50
23.	2403	--	--	--	--	--	--	--	162.99	20.39	--	--	--	1,83.38
24.	2235	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40.30	40.30
25.	2403	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71.31	--	71.31
26.	2225	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	366.27	3,66.27
योग		3,54.22	18.75	7.57	96.34	81.03	2,60.69	19.50	4,47.97	7,53.96	41,44.13	20,06.72	7,01.86	88,92.74

परिशिष्ट-2.14

(संदर्भ: प्रस्तर 2.6 (अ); पृष्ठ 56)

वर्ष 2014-15 तक के लम्बित डी सी बिल (31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विभाग	मुख्य शीर्ष	ए.सी. बिलों की संख्या	राशि
1.	निर्वाचन	2015	3	6.44
2.	शिक्षा	2202	11	74.48
3.	एन सी सी निदेशालय	2202	8	3.99
4.	सामान्य प्रशासन	2217	1	0.20
5.	युवा कल्याण	2204	8	8.15
6.	सामान्य प्रशासन	2205	1	0.25
7.	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210	6	4,43.68
8.	पशुपालन	2403	12	47.69
9.	कृषि कार्य एवं अनुसंधान	2401	1	0.02
10.	सामान्य प्रशासन	2070	02	2.35
11.	उत्तराखण्ड सूचना आयोग	2070	01	0.25
12.	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	4059	01	29.66
13.	सामान्य प्रशासन	2245	3	74.35
14.	सामान्य प्रशासन	2053	2	0.40
15.	ग्रामीण विकास	2515	06	0.26
16.	पंचायती राज	2515	14	1,58.86
17.	वन	2406	3	0.75
18.	सिंचाई	2700	1	0.10
19.	मत्स्य पालन	2405	1	0.03
20.	आर एफ सी कुमाँऊ	4408	1	40.00
21.	श्रम एवं सेवायोजन(उपनिदेशक कारखाना)	2230	1	15.00
22.	उत्तराखण्ड विधि एवं न्याय अकादमी	2014	5	6.22
23.	पर्यटन	5452	1	5.00
24.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2235	1	3.65
25.	मुख्य परिवीक्षाधीन अधिकारी, महिला कल्याण	2235	1	0.05
योग			95	9,21.83

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: प्रस्तर 3.3; पृष्ठ 63)

विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमीकरण एवं सरकारी निवेश का विवरण

क्रम सं.	उपक्रम का नाम	अन्तिम रूप दिये गये लेखों की अवधि	अन्तिम रूप दिए गए पिछले लेखाओं के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेखों को तैयार करने में विलम्ब हेतु अभ्युक्ति/कारण
सिंचाई विभाग:				
1.	सिंचाई कार्यशाला, खण्ड, रुड़की	2011-12	1.92	अनुपलब्ध
खाद्य एवं सिविल आपूर्ति विभाग				
2.	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी	2002-03	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
3.	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, देहरादून	2002-03	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 63)

दुर्विनियोग, चोरी/हानि आदि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवार/अवधिवार विवरण
(वे मामले जिनमें मार्च 2015 के अन्त में अन्तिम कार्यवाही लम्बित थी)

क्र. सं.	विभाग का नाम	विलम्बित मामलों की संख्या						कुल मामलों की संख्या
		0-1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 से 4 वर्ष	4 से 5 वर्ष	5 वर्ष या अधिक	
1.	शिक्षा	--	--	--	--	--	01	01
2.	वन	--	--	--	02	01	--	03
योग					02	01	01	04

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 63)

चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्री की हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवार/श्रेणीवार विवरण

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सम्पत्ति का दुर्विनियोग/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)
शिक्षा	--	--	01	1.07	01	1.07
वन	--	--	03	142.71	03	142.71
योग	--	--	04	143.78	04	143.78

परिशिष्ट 4.1
शब्दावली

क्रमांक	शब्द	व्याख्या
1.	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था जो राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन आदि।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की कुल आय या स्थिर कीमतों पर श्रम और उत्पादन के सभी अन्य कारकों को प्रयुक्त करते हुए उत्पादित माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत आँकड़ों में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय आँकड़ों की तन्यता अथवा प्रभावनीयता के स्तर को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता अन्तर्निहित करती है कि यदि स रा घ उ में एक प्रतिशत तक की वृद्धि होती है, तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशत बिन्दुओं तक वृद्धिगत होने का प्रयास करती हैं।
4.	आन्तरिक ऋण	इसमें मुख्यतः बाजार ऋण और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।
5.	कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनका इस आशय से सभी नागरिक लाभ लेते हैं कि ऐसी वस्तु का किसी व्यक्ति के उपभोग से उसी वस्तु के दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है, उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का लागू किया जाना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण-मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय वस्तुएँ तथा सड़कें इत्यादि। मेरिट गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनको सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर उपलब्ध कराता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा समाज को उन्हें सरकार को भुगतान करने की क्षमता और इच्छा के बजाय आवश्यकता की किसी धारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिए और इसलिए वह उनके उपभोग को प्रोत्साहित करने की कामना रखता है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरणों में गरीबों के पोषण के समर्थन हेतु मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर खाद्य सामग्री का प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने एवं रूग्णता को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, सर्वजन को आधारभूत शिक्षा, पेयजल तथा स्वच्छता आदि प्रदान करना सम्मिलित है।
6.	विकासपरक व्यय	व्यय के आँकड़ों का विश्लेषण विकासपरक और अविकासपरक में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्ध किया जाता है। मोटे तौर पर, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासपरक व्यय को संस्थापित करती हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर हुए व्यय को गैर विकासपरक व्यय के रूप में माना जाता है।

7.	ऋण वहन क्षमता	ऋण वहन क्षमता को किसी समयावधि के सतत ऋण-जी डी पी अनुपात को बनाए रखने के राज्य के सामर्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है और इसके ऋण को चुकाने की क्षमता के बारे में चिन्ता को मूर्त रूप देती है। इसलिए ऋण वहन क्षमता चालू या वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल चालू परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और ऐसे ऋणों के प्रतिफल के साथ अतिरिक्त ऋणों की लागत के संतुलन को बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे की वृद्धि का ऋण चुकाने की क्षमता की वृद्धि के साथ मिलान होना चाहिए।
8.	ऋण स्थिरीकरण	स्थायित्व के लिए एक आवश्यक शर्त यह बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था वृद्धि की दर लोक ऋणों की लागत या ब्याज दर से अधिक होती है तो ऋण-जी डी पी अनुपात भी स्थिर रहना चाहिए बशर्ते कि प्रारंभिक अवशेष या तो शून्य है या धनात्मक या लगभग नकारात्मक है। दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर - ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार) ऋण वहन क्षमता की शर्तें बताती है कि यदि मात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा शून्य है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी तरफ यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ मात्रा विस्तार ऋणात्मक हो जाता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात उच्च हो जाएगा और धनात्मक होने की दशा में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात गिरेगा।
9.	ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण वहन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाया जा सकता था यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियाँ बढ़ते हुए ब्याज भार और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकते।
10.	उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित अनुपात यह सीमा इंगित करता है कि जहाँ तक ऋण निधियों की निवल उपलब्धता को बताते हुए ऋण प्राप्तियों का प्रयोग ऋण विमोचन में किया जाता है।
11.	ऋणोत्तर प्राप्तियाँ	बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आवृत करने हेतु राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियाँ बढ़ते हुए ब्याज भार व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकें तो ऋण वहन क्षमता महत्वपूर्ण रूप से सुगम हो सकेगी।